

महोदय जी

निवेदन है कि ग्राम नयागांव खाता सं: ५५ में जमीन की जाति कुदरालाल पि हिरा बलाई दर्ज है। जबकि पहचान इस्तेमाल में जाति मैघवाल दर्ज रिकॉर्ड है। अतः जाति बलाई के बजाय मैघवाल दर्ज करना उचित है।

३५५

११/५/१८
११/५/१८

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

रिपोर्ट संख्या १५४ जायदा की खाते में जमीन की जाति बलाई के स्थान पर मैघवाल दर्ज किया जाना अन्यायपूर्ण है।

११/५/१८

जा-फ ४९/१८
११/५/१८

आदेश

११/०५/२०१८

इसके साथ तहसीलदार रावतभाटा के आदेश पर ग्राम नयागांव खाता सं: ५५ में खेतदारों की जाति बलाई के बजाय मैघवाल दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा